संख्या-113/2020/74/22-2-2020-17(23)/2020

प्रेषक,

सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 ***लखनऊ: दिनांक 12 मार्च 2020***

विषय:- आजीवन कारावास से दण्डित बन्दियों की प्रत्येक गणतन्त्र दिवस (26 जनवरी, 2020) के अवसर पर केन्द्रीय कारागार, आगरा में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी मुनीम पुत्र श्री फौजीराम, निवासी जनपद-बुलन्दशहर की दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-1308/प्रोवेशन-6/147/26जनवरी,2020, दिनांक 13.01.2020 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- आपके उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार आजीवन कारावास से दण्डित बन्दियों की प्रत्येक गणतन्त्र दिवस (26 जनवरी, 2020) के अवसर पर केन्द्रीय कारागार, आगरा में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी मुनीम पुत्र श्री फौजीराम, जो ग्राम गंगा तट, थाना-छतारी, जनपद-बुलन्दशहर का रहने वाला है। दिनांक 19.09.1994 को बंदी द्वारा 01 सहअभियुक्त के साथ मिलकर 01 व्यक्ति की अपहरण कर हत्या कारित की गयी। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-737/1995 में भा0द0वि0 की धारा-364, 302, 201 के अन्तर्गत मा0 विशेष न्यायाधीश (एस0सी0/एस0टी0एक्ट), बुलन्दशहर के आदेश दिनांक 16.09.2005 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया। बन्दी द्वारा दिनांक 26.01.2020 तक 18 वर्ष 06 माह 14 दिन की अपरिहार सजा तथा 23 वर्ष 03 माह 28 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। दयायाचिका समिति द्वारा शासनादेश दिनांक 01 अगस्त, 2018 के प्रस्तर- 3(13) में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत प्रतिबंधित श्रेणी से आच्छादित होने के कारण सिद्धदोष बन्दी मुनीम पुत्र श्री फौजीराम की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

3- उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि बन्दी मुनीम (बन्दी संख्या-11103) पुत्र श्री फौजीराम, निवासी जनपद-बुलन्दशहर की संविधान के अनुच्छेद-161 के अन्तर्गत दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई सम्यक् विचारोपरान्त श्री राज्यपाल द्वारा **अस्वीकार** कर दी गयी है। कृपया उपरोक्त से बन्दी को भी अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर
विशेष सचिव।

संख्या-113/2020/74(1)/22-2-2020 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, बुलन्दशहर।
2- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, आगरा।
3- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार विभाग, उ0प्र0 को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ ।
4- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

करूणेश कुमार सिंह
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in